(105)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : **मनोज गोयल**

अध्यक्ष

निगरानी प्रकरण क्रमांक निग. 1147/पीबीआर/17 विरूद्ध आदेश दिनांक 20.03.2017 पारित द्वारा अपर आयुक्त, उज्जैन संभाग, उज्जैन प्रकरण क्रमांक 28/अपील/15-16.

---

1. हंसराज पिता चंपालाल काछी
2. रामप्रसाद पिता भंवरलाल काछी
3. कंवललाल पिता भंवरलाल काछी
4. जानीबाई पति भंवरलाल काछी

समस्त निवासीगण कुकडेश्वर,
तहसील मनासा, जिला नीमच, म.प्र. .....आवेदकगण

विरूद्ध

रामगोपाल उर्फ गोपाल पिता
भुवानीशंकर काछी
निवासी कुकडेश्वर, तहसील मनासा,
जिला नीमच, म.प्र. .....अनावेदक

श्री आर.डी. शर्मा, अभिभाषक, आवेदकगण
श्री एस.के. बाजपेयी, अभिभाषक, अनावेदक

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 14/8/18 को पारित)

आवेदक द्वारा यह निगरानी म.प्र. भू-राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत अपर आयुक्त, उज्जैन संभाग, उज्जैन द्वारा पारित दिनांक 20.03.2017 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि आवेदकगण के स्वामित्व की ग्राम कुकडेश्वर में भूमि सर्वे क्रमांक 2489, 2492, 2493, 2501 स्थित है। आवेदकगण के उत्तर दिशा में अनावेदक की कृषि भूमि सर्वे नम्बर 2496 स्थित है। आवेदकगण को अपनी कृषि भूमियों पर आने जाने हेतु बैलगाड़ी, ट्रैक्टर सामान आदि से जाने हेतु एकमात्र रूढिगत रास्ता है, जो अनावेदक की भूमि की पश्चिमी मेढ़ से होकर जाता है, किंतु उक्त रास्ता अनावेदक द्वारा बंद कर दिया गया है। अतः उक्त रास्ता खुलवाये जाने हेतु आवेदकगण द्वारा तहसीलदार, मनासा के समक्ष संहिता की धारा 131 के अंतर्गत एक आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया। नायब तहसीलदार द्वारा प्रकरण क्रमांक 05/अ-13/11-12 दर्ज कर दिनांक 17.06.2015 से आवेदकगण का आवेदन पत्र धारा 131 निरस्त किया गया। नायब तहसीलदार के आदेश के विरूद्ध आवेदकगण द्वारा अनुविभागीय अधिकारी, मनासा के समक्ष प्रथम अपील प्रस्तुत की गई। अनुविभागीय अधिकारी द्वारा आदेश दिनांक 29.09.2015 से नायब तहसीलदार द्वारा पारित आदेश दिनांक 17.06.2015 निरस्त कर पूर्व से प्रचलित मार्ग चालू करवाये जाने हेतु आदेश पारित किया गया। अनुविभागीय अधिकारी के आदेश के विरूद्ध अनावेदक द्वारा अपर आयुक्त, उज्जैन संभाग, उज्जैन के समक्ष द्वितीय अपील प्रस्तुत की गई। अपर आयुक्त द्वारा दिनांक 20.03.2017 को आदेश पारित कर अपील स्वीकार करते हुए अनुविभागीय अधिकारी का आदेश दिनांक 29.09.2015 निरस्त किया गया। अपर आयुक्त के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

3/ आवेदकगण के विद्वान अभिभाषक द्वारा तर्क में मुख्य रूप से निम्नलिखित आधार उठाये गये हैं-

(1) नायब तहसीलदार द्वारा राजस्व निरीक्षक के स्थल निरीक्षण प्रतिवेदन एवं पंचनामा, जिसको नजर अंदाज करते हुए आदेश पारित किया गया है। इस स्थल निरीक्षण प्रतिवेदन एवं पंचनामा से पूर्णतः स्पष्ट है कि आवेदकगण द्वारा चाहा गया रास्ता रूढिगत रास्ता है जो चालू था, जिसे अनावेदक द्वारा पत्थर डालकर एवं बागड़ लगाकर बंद कर किया गया है। प्रथम अपीलीय न्यायालय द्वारा उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर विधिवत् आदेश पारित किया गया है, जिसे निरस्त करने में द्वितीय अपीलीय न्यायालय द्वारा वैधानिक त्रुटि की गई है।

(2) नायब तहसीलदार की आदेश पत्रिका दिनांक 12.06.2015 को स्थल निरीक्षण हेतु प्रकरण नियत किया गया था एवं आदेश पत्रिका दिनांक 13.06.2015 द्वारा स्थल निरीक्षण किया जाना वर्णित किया जाकर प्रकरण आदेशार्थ नियत किया गया है, जबकि दिनांक 13.06.2015

की कोई स्थल निरीक्षण टीप अभिलेख पर उपलब्ध ही नहीं है। ऐसी स्थिति में ऐसे अवैध आदेश को स्थिर रखने में द्वितीय अपीलीय न्यायालय द्वारा वैधानिक त्रुटि की है।

(3) नायब तहसीलदार द्वारा आवेदकगण को स्थल निरीक्षण किये जाने के विषय में कोई सूचना नहीं दी गई है एवं उनके समक्ष कोई स्थल निरीक्षण नहीं किया गया है। ऐसे तथाकथित स्थल निरीक्षण प्रतिवेदन पर पारित आदेश अवैध है, जिसे स्थिर करने में द्वितीय अपीलीय न्यायालय द्वारा वैधानिक त्रुटि की गई है।

(4) अपर आयुक्त द्वारा रूढि एवं सुविधा के सिद्धांत को समझने में कोई त्रुटि की गई है। आवेदकगण के पक्ष में रूढि एवं सुविधा का सिद्धांत अर्थात् दोनों ही हैं। ऐसी स्थिति में अनुविभागीय अधिकारी द्वारा पारित विधिवत आदेश को अपास्त करने में अपर आयुक्त द्वारा त्रुटि की गई है।

(5) नायब तहसीलदार एवं अपर आयुक्त द्वारा वैकल्पिक मार्ग उपलब्ध होने के सिद्धांत को समझने में त्रुटि की गई है। जब आवेदकगण का रूढिगत रास्ता है एवं जिसका वे पूर्वजों के समय उपयोग करते आ रहे हैं, तब ऐसी स्थिति में कोई वैकल्पिक मार्ग भी उपलब्ध हो, तब भी रूढिगत रास्ता खुलवाने से इंकार नहीं किया जा सकता।

(6) नायब तहसीलदार एवं अपर आयुक्त का यह निष्कर्ष कि आवेदकगण को उत्तरी-पूर्वी-दक्षिणी मेड़ पर वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध है, यह निष्कर्ष के विपरीत है। तथाकथित मेड़ मात्र डेढ़-दो फीट चौड़ी है, जिसका आवेदकगण द्वारा कभी उपयोग नहीं किया गया है और डेढ़-दो फीट चौड़ी मेड पर से कृषि उपकरण एवं मवेशी आदि लाना और ले जाना संभव ही नहीं है।

(7) नायब तहसीलदार एवं अपर आयुक्त के यह निष्कर्ष कि अनावेदक द्वारा भलमंशाहत में आवेदकगण को उनके द्वारा चाहे गये रासते का उपयोग करने मात्र से रूढिगत रास्ता नहीं हो जाता, इस निष्कर्ष से ही स्पष्ट है कि आवेदकगण चाहे गये रास्ते का ही उपयोग करते हैं और यह रास्ता उनका रूढिगत रास्ता है। ऐसी स्थिति में अपर आयुक्त द्वारा अनुविभागीय अधिकारी के विधिवत आदेश को अपास्त करने एवं तहसील न्यायालय के अवैध आदेश को स्थिर रखने में वैधानिक त्रुटि की गई है।

अतः उनके द्वारा निगरानी स्वीकार करते हुए अपर आयुक्त, उज्जैन संभाग, उज्जैन का आदेश निरस्त करने का अनुरोध किया गया है।

4/ अनावेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि अधीनस्थ न्यायालय अपर आयुक्त, उज्जैन संभाग, उज्जैन तथा नायब तहसीलदार द्वारा विधिसंगत आदेश

पारित किया गया है, जिनमें हस्तक्षेप का कोई आधार इस निगरानी में नहीं है। उनके द्वारा निगरानी निरस्त कर अधीनस्थ न्यायालय का आदेश स्थिर रखने का अनुरोध किया गया।

5/ उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत तर्कों के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया। अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट है कि अनुविभागीय अधिकारी ने विस्तृत रूप से परीक्षण कर पाया है कि नायब तहसीलदार द्वारा दिनांक 12.06.2015 एवं 13.06.2015 को किया गया स्थल निरीक्षण पूरी तरह संदेहास्पद है। अपर अयुक्त ने इस बिन्दु पर कुछ नहीं कहा है, और नायब तहसीलदार के उसी संदेहास्पद स्थल निरीक्षण को आधार बनाकर अपने निष्कर्ष निकाले हैं, जो कि स्थिर रखे जाने योग्य नहीं हैं। अत: अनुविभागीय अधिकारी द्वारा दिनांक 29.09.2015 से नायब तहसीलदार द्वारा पारित आदेश दिनांक 17.06.2015 निरस्त कर पूर्व से प्रचलित मार्ग चालू करवाये जाने हेतु जो आदेश पारित किया है, वह विधिसंगत होने से उसकी पुष्टि की जाती है। दर्शित परिस्थिति में अपर आयुक्त द्वारा पारित आदेश त्रुटिपूर्ण होने से निरस्त किये जाने योग्य है

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर आयुक्त, उज्जैन संभाग, उज्जैन द्वारा पारित आदेश दिनांक 20.03.2017 निरस्त किया जाता है। निगरानी स्वीकार की जाती है।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर